



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की
का
नागरिक घोषणा पत्र

नागरिक घोषणा पत्र

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम 2003 को उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की संख्या—499/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 दिनांक 15 जनवरी 2004 द्वारा प्रख्यापन कर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की का विधिवत् गठन किया गया एवं प्रदेश की समस्त राजकीय, महिला, ग्रामीण, सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं के छात्र/छात्राओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उच्च स्तर की तकनीकी गुणवत्ता एवं परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् कार्यशील है।

दृष्टि :—

समयबद्ध परीक्षाओं का संचालन, त्वरित मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करना, जिससे उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार से राज्य/देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

परिषद् के मुख्य कार्य :—

- (क) आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय भेषजी परिषद् से EOA/LOA प्राप्त संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, पाठ्यचर्या का निर्धारण/निर्माण, मुख्य परीक्षा का संचालन तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अग्रेतर सेमेस्टर/वर्ष में पाठ्यचर्या के उन्नयन हेतु निर्देश देना ;
- (ख) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का निरीक्षण तथा उनके पंजीकरण एवं उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करना ;
- (ग) आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय भेषजी परिषद् के अनुसार सम्बद्ध संस्थाओं में भवन, साज—सज्जा एवं उपकरणों के निर्धारित मानकों को लागू करने हेतु निर्देशित करना ;
- (घ) सम्बद्ध संस्थाओं में छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया विहित करना ;
- (च) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा (परीक्षाओं) में छात्र/छात्राओं को सम्मिलित होने के लिये अनुमति प्रदान करना ;
- (छ) प्रवेश परीक्षा एवं सामान्य परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय भेषजी परिषद् के मानकों के अनुसार डिप्लोमा अथवा प्रमाण—पत्र प्रदान करना ;
- (ज) तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 2003 के अधीन उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को परामर्श देना ;
- (झ) प्रवेश परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं हेतु शुल्क निर्धारण तथा नियमानुसार लेखा एवं खातों का रख—रखाव ;
- (ट) राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना ;
- (ठ) अंशदान, भारत सरकार तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान आदि प्राप्त करना।

हमारी प्रतिबद्धता :—

- निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षाओं का संचालन।
- छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल को समयबद्ध घोषित किया जाना।
- परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं में छात्र/छात्राओं के सर्वागीण विकास हेतु मानकानुसार मूल्यांकन करना।
- वर्तमान औद्योगिक मांग के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण एवं लागू करना जिससे श्रेष्ठ मानव संसाधन विकसित हो सकें।
- तकनीकी शिक्षा को सभी के लिए न्यूनतम् शुल्क पर उपलब्ध कराना।
- छात्र/छात्राओं का सभी आयामों (शिक्षा, खेल-कूद, Innovation & Creativity, Problem Solving ability आदि) के आधार पर मूल्यांकन।

परिवाद एवं शिकायतें :—

परिषद् की कार्यशैली को अधिकाधिक प्रभावी व नागरिक उन्मुख बनाने के लिए परिषद् क्रियाकलापों से सम्बन्धित सूचनायें छात्र/छात्राओं को सम्बद्ध संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही परीक्षा आयोजन/कांउसिलिंग एवं सम्बन्धित अन्य सूचनायें समाचार पत्रों एवं परिषद् की वेबसाइट (www.ubter.in) के माध्यम से सूचित करायी जाती है। इसके अतिरिक्त परिषद् की ई-मेल (js.ubte15@gmail.com) के माध्यम से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

परिषद् के अधिकारी एवं कर्मचारी नाम / पदनाम :—

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1—	श्री देश राज	सचिव
2—	श्री राजीव सिंह	परीक्षा नियंत्रक
3—	श्री मुकेश पाण्डेय	संयुक्त सचिव
4—	श्री मुकेश तेवाड़ी	उपसचिव
5—	श्री अभिषेक कुमार सिंह	उपसचिव
6—	सुश्री शालिनी	सहायक सचिव
7—	श्री सचिन कुमार	सहायक सचिव
8—	श्री सुन्दर सिंह दुग्ताल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
9—	श्री शिवशरण नौटियाल	लेखाकार
10—	श्री बबीता नौटियाल	आशुलिपिक / कंसोल ऑपरेटर
11—	श्री रणजीत सिंह नेगी	आशुलिपिक / कंसोल ऑपरेटर
12—	श्री सन्दीप कुमार	आशुलिपिक / कंसोल ऑपरेटर
13—	श्री वीरेन्द्र आगरी	कम्यूटर प्रोगामर
14—	सुश्री भावना जोशी	कम्यूटर प्रोगामर
15—	श्री मनोज कुमार थपलियाल	कम्यूटर प्रोगामर
16—	श्री गौतम कुमार	वरिष्ठ सहायक
17—	श्री समीश कुमार	वरिष्ठ सहायक
18—	श्री ज्ञानेश्वर रावत	वरिष्ठ सहायक
19—	कु0 मंजू नाथ	वरिष्ठ सहायक
20—	श्री विनय चन्दोला	कनिष्ठ सहायक
21—	श्रीमती रोशनी नाथ	कनिष्ठ सहायक
22—	श्री हर्षित डौर्बी	कनिष्ठ सहायक
23—	श्री गगन कुमार	कनिष्ठ सहायक
24—	श्री राम सिंह	वाहनचालक
25—	श्री विनोद कुमार	वाहनचालक
26—	श्री सोहनीलाल	वाहनचालक

तकनीकी शिक्षा विभाग (परिषद्) से सम्बन्धित सेवाएँ :-

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-6 के शासनादेश सं0 837/XXX(6)2021-20(02)21 देहरादून दिनांक: 30 दिसम्बर 2021 के द्वारा अधिसूचित सेवाएं निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
2	अनंतिम अंकतालिका जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
3	जमानत/बंधक राशि (Caution money) की वापसी।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
4	चरित्र प्रमाण—पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
5	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	सचिव, उ.प्रा.शि.प., रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
6	पॉलिटेक्निक संस्थान के उत्तीर्ण छात्रों के लिए अनंतिम अंकपत्र(Marksheet) पर निर्णय।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
7	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिये जांच/संवीक्षा(Scrutiny) के परिणाम की घोषणा।	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की	30 दिवस	सचिव, उ.प्रा.शि.प., रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
8	विशेष बैक परीक्षा (Back Paper Examination) के परिणाम की घोषणा।	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की	40 दिवस	सचिव, उ.प्रा.शि.प., रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
9	अंकपत्र में त्रुटि सुधार (अंकों को छोड़कर)	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ.प्रा.शि.प., रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
10	अनंतिम डिप्लोमा प्रमाण—पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
11	डुप्लिकेट अंक पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)

12	डुप्लिकेट डिप्लोमा प्रमाण-पत्र जारी करना।	परीक्षा नियंत्रक, उ०प्रा०शि०प० रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ०प्रा०शि०प०, रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
13	डिप्लोमा प्रमाण-पत्र में त्रुटि सुधार करना।	परीक्षा नियंत्रक, उ०प्रा०शि०प० रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ०प्रा०शि०प०, रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
14	उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन।	परीक्षा नियंत्रक, उ०प्रा०शि०प० रुड़की	45 दिवस	सचिव, उ०प्रा०शि०प०, रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
15	प्रतिलेख प्रमाण-पत्र	परीक्षा नियंत्रक, उ०प्रा०शि०प० रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ०प्रा०शि०प०, रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
16	माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	परीक्षा नियंत्रक, उ०प्रा०शि०प० रुड़की	07 दिवस	सचिव, उ०प्रा०शि०प०, रुड़की	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :-

नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराने हेतु परिषद् में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर उपलब्ध हैं।

परिषद् में शिकायत निवारक अधिकारी का पदनाम व पता—

सचिव
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
सुनेहरा रोड, निकट को०एल० पालीटेक्निक हॉस्टल
रुड़की (हरिद्वार)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—६
संख्या:— /XXX(6)/2021-20(02)21
देहरादून, दिनांक: ३० दिसम्बर, २०२१

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं 20 वर्ष 2011) की धारा—०३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय—सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना सं—१३३७/XXXI(13)/G/2011 दिनांक 28.10.2011, ३६८/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 28.04.2016, ५९८/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 31.05.2016, ७५८/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 14.06.2016, ८६८/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 28.06.2016, १४६/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 25.06.2018, १५६/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 03.08.2018 १३७/XXX(6)/21-20(04)16, दिनांक 02.03.2021, ८०१/XXX(6)/21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021, ८०२/XXX(6)/21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021 एवं ८०३/XXX(6)/21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021 द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय—सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:—

1. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग :

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
१	२	३	४	५	६
१	आई०टी०आई० में प्रवेशित छात्रों के लिये अंकपत्र और प्रमाण पत्र की सत्यापन पश्चात वापसी।	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	१५ दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
२	आई०टी०आई० छात्रों के लिये चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति (क) २८ दिन तक	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	१० दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
		निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी	३० दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
३	(SCVT) उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम के साथ चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	१५ दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
४	उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रमाण पत्र जारी करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	३० दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
५	स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र जारी करना। (SCVT) (आवश्यकता होने पर)	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	१५ दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
६	डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	१५ दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
७	डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	३० दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
८	आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने पर संशोधित अंकपत्र जारी करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	१५ दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
९	संशोधित प्रमाण पत्र जारी करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	३० दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
१०	जांच/संवीक्षा (Scrutiny) का परिणाम की घोषणा करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	३० दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
११	जमानत/बन्धक राशि (caution money) (क) उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की काशन मनी की वापसी।	प्रधानाचार्य आई०टी०आई०	३० दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)

2. माध्यमिक शिक्षा विभाग :

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	मूल प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	15 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
2	डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	30 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
3	मूल अंकपत्र जारी करने का निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	15 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
4	डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करने का निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	15 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
5	सुधार कर सही प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	30 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
6	सुधार कर अंकपत्र जारी करने का निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	30 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
7	रद्द परीक्षा परिणाम पर निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	45 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
8	रोक परिणाम पर निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	45 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
9	अधूरा/गलत परिणाम के सुधार पर निर्णय	अपर सचिव, (सिस्टम सेल) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्	45 दिवस	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।	सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
10	सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्धता के लिये माध्यमिक विद्यालयों के लिये एनओसी	मुख्य शिक्षा अधिकारी (संबंधित जनपद)	60 दिवस	अपर निदेशक, माध्यमिक	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

3. तकनीकी शिक्षा विभाग :

1	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिये स्थानान्तरण प्रमाण पत्र(माइग्रेशन) जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढ़वाल	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल)
2	अनंतिम अंकतालिका जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढ़वाल	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल)
3	जमानत / बंधक राशि (caution money) की वापसी	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढ़वाल	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल)

क्रम संख्या	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अधिकारी	द्वितीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
4	चरित्र प्रमाण—पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढवाल	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
5	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिये डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
6	पॉलिटेक्निक संस्थान के उत्तीर्ण छात्रों के लिये अनंतिम अंकपत्र (marksheets) पर निर्णय	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढवाल	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
7	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिये जांच / संवीक्षा (scrutiny) के परिणाम की घोषणा।	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	30 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
8	विशेष बैंक परीक्षा (back paper examination) के परिणाम की घोषणा।	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	40 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
9	अंकपत्र त्रुटि सुधार। (अंकों को छोड़कर)	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
10	अनंतिम डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढवाल	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
11	डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर गढवाल	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
12	डुप्लिकेट डिप्लोमा प्रमाण—पत्र जारी करना।	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
13	डिप्लोमा प्रमाण—पत्र में त्रुटि सुधार करना।	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
14	उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिये आवेदन	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	45 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
15	प्रतिलेख प्रमाण—पत्र	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	15 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)
16	माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिये आवेदन	परीक्षा नियंत्रक उ0प्रा0शि0प0, रुड़की	07 दिवस	सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रुड़की।	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)

4. कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स :

1	सोसाइटी पंजीकरण (ऑन लाईन प्रपत्रों को अपलोड करने तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, नियमानुसार पाये जाने पर, सामान्य परिस्थिति में)	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स संबंधित जनपद	30 दिवस	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड शासन।	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
---	---	---	---------	---	------------------------------

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
2	सोसाइटी नवीनीकरण (ऑन लाईन प्रपत्रों को अपलोड करने तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, नियमानुसार पाये जाने पर, सामान्य परिस्थिति में)	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स संबंधित जनपद	60 दिवस	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड।	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
3	फर्म पंजीकरण (ऑन लाईन प्रपत्रों को अपलोड करने तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, नियमानुसार पाये जाने पर, सामान्य परिस्थिति में)	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स संबंधित जनपद	30 दिवस	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड।	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
4	चिट पंजीकरण एवं चिट समूह पंजीकरण (ऑफ लाईन प्रपत्रों को कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, नियमानुसार पाये जाने पर, सामान्य परिस्थिति में)	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स संबंधित जनपद	30 दिवस	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड।	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
5	सोसाइटी की प्रति (copy of society)	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स संबंधित जनपद	07 दिवस	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड।	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6	फर्म की प्रति (copy of society)	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स संबंधित जनपद	07 दिवस	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तराखण्ड।	सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।

5. श्रम विभाग :

1	जनश्री बीमा योजना	समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	20 दिवस	संबंधित सहायक श्रम आयुक्त	उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून
---	-------------------	-----------------------------	---------	---------------------------	--

6. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :

1	प्रथम गन्ना सर्वेक्षण	संबंधित गन्ना विकास परिषद् के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	डेढ़ माह	संबंधित जिले के सहायक गन्ना आयुक्त	उप/संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त
2	गन्ना सर्वेक्षण की कृषकवार/प्लॉटवार सूची का प्रदर्शन		सर्वेक्षण नीति के अनुसार		
3	अन्तिम गन्ना सर्वेक्षण				
4	अन्तिम गन्ना सर्वेक्षण के पश्चात कृषकों को गन्ना सर्वेक्षण एवं सट्टे की सूची का प्रदर्शन				
5	गन्ना उपज बढ़ोतरी हेतु आवेदन	सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति	गन्ना आपूर्ति एवं सट्टा नीति के अनुसार		
6	गन्ना उपज बढ़ोतरी हेतु आवेदन पत्रों की जांच	संबंधित गन्ना विकास परिषद् के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	03 दिवस		

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
7	गन्ना समिति का सदस्य बनने हेतु आवेदन	सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति	गन्ना आपूर्ति एवं सट्टा नीति के अनुसार	01 दिवस	
8	गन्ना कृषकों को कैलेन्डर वितरण				
9	कृषकों को उर्वरक / कीटनाशक का वितरण				
10	कृषकों को गन्ना बीज वितरण	संबंधित गन्ना विकास परिषद् के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	03 दिवस		
11	कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान	सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति	03 दिवस (चीनी मिल से प्राप्त होने पर)		
12	खाण्डसारी इकाई का लाइसेन्स	सहायक चीनी आयुक्त के माध्यम से गन्ना एवं चीनी आयुक्त	03 माह	उप/संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त	आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
13	सड़क निर्माण हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस	सहायक गन्ना आयुक्त (मुख्यालय)	उप/ संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त
14	सड़क निर्माण हेतु 'बी' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
15	सड़क निर्माण हेतु 'सी' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
16	सड़क निर्माण हेतु 'डी' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
17	भवन निर्माण हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
18	भवन निर्माण हेतु 'बी' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
19	भवन निर्माण हेतु 'सी' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
20	भवन निर्माण हेतु 'डी' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
21	विद्युत कार्य हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
22	विद्युत कार्य हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		
23	विद्युत कार्य हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण	अधिशासी अभियन्ता (गन्ना)	15 दिवस		

7. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग :

1	बाट माप तौल यंत्रों के विनिर्माताओं को लाइसेंस दिया जाना।	संयुक्त नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	15 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
2	बाट माप तौल यंत्रों के विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाना।	उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	15 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
3	बाट माप तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ताओं को लाइसेंस दिया जाना।	उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	15 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
4	बाट माप तौल यंत्रों के विनिर्माताओं को लाइसेंस का नवीनीकरण।	संयुक्त नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	10 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
5	बाट माप तौल यंत्रों के विक्रेताओं के लाइसेंस का नवीनीकरण।	उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	10 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
6	बाट माप तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ताओं के लाइसेंस का नवीनीकरण।	उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	10 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
7	पैकेज कोमोडिटीज नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत विनिर्माता/पैकर /आयातकर्ता का पंजीकरण	संयुक्त नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	15 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
8	बाट माप तथा तौल यंत्रों के सत्यापन / पुनः सत्यापन।	वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	30 दिवस	सहायक नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	उप नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड
9	बाट माप तौल यंत्रों के विनिर्माताओं के लाइसेंस संशोधन।	संयुक्त नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	10 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
10	बाट माप तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ताओं के लाइसेंस संशोधन।	उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	10 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
11	बाट माप तौल यंत्रों के विक्रेताओं के लाइसेंस संशोधन।	उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	10 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग
12	पैकेज कोमोडिटीज नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत विनिर्माता/पैकर /आयातकर्ता का पंजीकरण संशोधन।	संयुक्त नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	07 दिवस	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग

8. राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तराखण्ड :

1	महिला प्रधान अभिकर्ताओं की नियुक्ति	संबंधित जिले के सहायक निदेशक/ जिला बचत अधिकारी	आवेदन करने के उपरान्त अभिलेखों का परीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर पुलिस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट हेतु प्रेषित तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर नियुक्ति करना।	संबंधित जिले के जिलाधिकारी	निदेशक, राष्ट्रीय बचत।
2	मानकीकृत अभिकर्ताओं की नियुक्ति	संबंधित जिले के सहायक निदेशक/ जिला बचत अधिकारी	संबंधित जिले के जिलाधिकारी	संबंधित जिले के जिलाधिकारी	निदेशक, राष्ट्रीय बचत।

9. राजस्व विभाग :

1	निर्विवादित नामान्तरण की प्रक्रिया की कार्यवाही	तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार	35 दिवस	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
---	---	----------------------------	---------	---------------	------------

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
2	राजस्व न्यायालय द्वारा भूमि संबंधी मामलों में पारित आदेशों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जाना (जिनमें किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित न हो)	तहसीलदार	05 दिवस	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
3	राजस्व अभिलेखों में विरासतन दर्ज करना (खातेदार की मृत्यु होने पर अथवा विरासतन दाखिल खारिज दर्ज करने हेतु वारिस का आवेदन प्राप्त होने पर)	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल व राजस्व निरीक्षक)	07 दिवस	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
4	साहुकारी लाईसेंस	अपर जिलाधिकारी / निबन्धक	10 दिवस	महानिबंधक	सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र	तहसीलदार	15 दिवस	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी

10. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग :

1	फिल्म शूटिंग की अनुमति	उपनिदेशक	02 सप्ताह	अपर निदेशक	महानिदेशक
2	शूटिंग की अवधि के दौरान फिल्म यूनिट का संरक्षण	उपनिदेशक	शूटिंग अवधि तक	अपर निदेशक	महानिदेशक
3	शूटिंग की अवधि के दौरान फिल्म यूनिट को रियायती दरों पर सरकारी अतिथि गृह / निरीक्षण गृह में रहने की व्यवस्था	उपनिदेशक	02 सप्ताह	अपर निदेशक	महानिदेशक

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन—पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
सचिव।

संख्या- 837 /XXX(06)/21-20(02)21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि इसकी 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा सं०

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।